

6

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल-46/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० श्री मोहन मिश्रा, सह-प्राध्यापक (संविदा), टी०वी० एण्ड चेस्ट विभाग, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा के द्वारा उपभोगित अवधि का दिनांक- 09.11.1990 से 14.03.1991 तक को बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

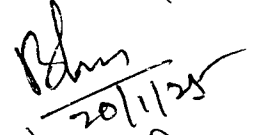
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/एल-46/2024- 133(2) पटना, दिनांक 24/01/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/डा० श्री मोहन मिश्रा, सह-प्राध्यापक (संविदा), टी०वी० एण्ड चेस्ट विभाग, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।

A_